

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)

एफ 2(3)ग्रावि/गुप-1/2006

जयपुर, दिनांक 6 MAY 2015

—:आदेश:—

श्री खिलाड़ी राम मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित थे। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ई.जी.एस.) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) चित्तौड़गढ़ के कार्यालय आदेश के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले में प्रशासनिक व्यय कम करने के निर्देशों की पालना में जिला स्तर पर दो अधिशाषी अभियन्ताओं के पदस्थापन होने से व्यय कम करने एवं कार्यभार आवश्यकता को देखते हुए कार्यरत दो अधिशाषी अभियन्ताओं में से श्री खिलाड़ी राम मीणा को कार्यमुक्त किया गया था।

प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आदेशों की प्रतिक्रिया में श्री खिलाड़ी राम मीणा को अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, बांरा के रिक्त पद पर किया जाता है।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग ।
6. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
7. जिला कलक्टर, बांरा।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांरा।
9. संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाता है कि तत्काल कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)